

(न्यायपालिका)नोट :-

हाई कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध प्रिवीकौंसिल में अपील का प्रावधान था।

- आधुनिक कानून 1860-61 में भारत में भारतीय IPC, Cr.P.C, C.J.P.C इत्यादि कानूनों को लागू किया गया।
- कानून का शासन: ब्रिटिश काल में मानव निर्मित कानून के द्वारा शासन की अवधारणा धीरे-धीरे लोकप्रिय हो गई इससे पूर्व धार्मिक कानूनों तथा शासक की इच्छा इत्यादि का महत्व था।
- कानून के समक्ष समानता: ब्रिटिश काल में सैद्धांतिक रूप से यह अवधारणा भी लोकप्रिय हुई कि कानून के समक्ष सभी बराबर हैं चाहे वह शासक हो या आम लोग।

न्यायिक ढांचे की आलोचना :-

- प्रशासन के अन्य क्षेत्रों की तरह न्याय के क्षेत्र में भी उच्च पदों पर अंग्रेजों को नियुक्त किया गया और निम्न स्तर पर भारतीयों को।
- न्यायिक ढांचे की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था कानून व्यवस्था को बनाए रखना जिससे राजस्व की वसूली सुचारु तौर पर जारी रह सके।

- आधुनिक कानून एवं कानूनी प्रक्रिया भरिल थी और आम लोगों को समझ नहीं आती थी और खर्चीली भी अधिक थी।
- आधुनिक कानूनों के निर्माण में भारतीयों का महत्व नहीं था।
- कानून बनाकर अंग्रेजों एवं भारतीयों के बीच भेदभाव किया गया जैसे- सिविल सेवा से संबंधित कानून।
- कानून का शासन स्थापित होने के बावजूद समाज के प्रभावी वर्गों ने प्रामाण्य को अपने पक्ष में रखा।

सिविल सेवा सेना एवं पुलिस का संक्षिप्त विश्लेषण :
विश्लेषण के अन्तर्गत भी परीक्षण वाले दृष्टिकोण को लागू करना है

- ब्रिटिश सरकार का यह दृष्टिकोण है कि भारत के आधुनिकीकरण के क्रम में आधुनिक प्रशासनिक संस्थाओं की स्थापना की गई।
- यहाँ आधुनिकीकरण का अर्थ है योग्यता एवं प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्ति सेवा से संबंधित एक जैसे नियम जैसे- प्रमोशन, ट्रांसफर, वेतन, पेंशन इत्यादि के सन्दर्भ में।

एक समान प्रशिक्षण, पद सौपान, राष्ट्र के प्रति समर्पण इत्यादि।

- हालांकि आधुनिक प्रशासनिक संस्थाओं का क्रमशः विकास हुआ तथा इन संस्थाओं की स्थापना और विकास भारत के आधुनिकीकरण से अधिक ब्रिटिश आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किया गया जैसे- सेना के गठन का मुख्य

उद्देश्य था साम्राज्य की सुरक्षा, विद्रोहों का दमन, साम्राज्य विस्तार इत्यादि। इसी प्रकार पुलिस के गठन का उद्देश्य था कानून व्यवस्था बनाए रखना, विद्रोहों का दमन करना और लोगों में सरकार के भय को बनाए रखना। सिविल सेवा का उद्देश्य था राजस्व का संग्रह करना एवं कानून व्यवस्था बनाए रखना।

- प्रशासन के सभी क्षेत्रों में प्रारम्भ से इस तथ्य पर बल दिया गया कि उच्च पदों पर केवल अंग्रेजों को नियुक्त करना है। कार्नवालिस के समय यह कानून बना कि 500 पौंड वार्षिक आय यह इतने अधिक आय वाली पदों पर केवल अंग्रेजों को नियुक्त किया जायेगा।
- इसी प्रकार सिविल सेवा को लेकर जब प्रतिद्वंद्विता परीक्षा प्रारम्भ की गई तब भी भारतीयों के साथ भेदभाव किया गया।

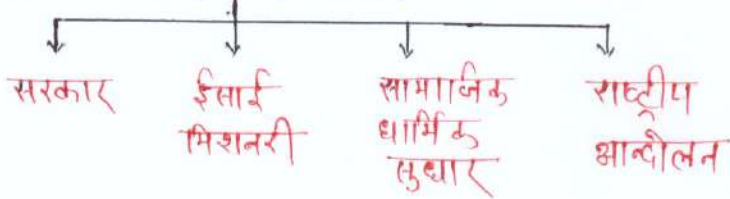
- 1844 में ही यह अनिवार्य कर दिया गया था कि सरकारी नौकरी के लिए अंग्रेजी का ज्ञान आवश्यक होगा।
- हालांकि 19वीं सदी में भारत में आधुनिक शिक्षा का भी प्रसार हुआ और धीरे-धीरे शिक्षित भारतीयों के द्वारा प्रशासन के क्षेत्र में भारतीयों के साथ भेदभाव का विरोध किया गया। और प्रशासनिक संस्थाओं में उच्च पदों पर भारतीयों की भागीदारी प्रारम्भ हुई राष्ट्रीय आन्दोलन के दौरान उच्च पदों का भारतीयकरण एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना, अंततः 1940 के दशक में सिविल सेवा में भारतीयों की संख्या अधिक हो गई और सेना में भी राष्ट्रीय चेतना का प्रसार हुआ। यह अंग्रेजों के द्वारा भारत छोड़ने का एक महत्वपूर्ण कारण बना।

अंग्रेजों की सामाजिक नीति

शिक्षा

समाज सुधार कानून

ब्रिटिश काल में शिक्षा



ब्रिटिश काल में शिक्षा का विकास

- Imp P.T
- (i) 1757 - 1813
 - (ii) 1813 - 1858
 - (iii) 1858 - 1947



प्राच्यवादी
सांगलवादी
अधोमुखी निस्पंदन

प्रथम चरण 1757 - 1813 :-

- इस चरण में शिक्षा के विकास के लिए कम्पनी के द्वारा कोई विशेष प्रयास नहीं किया गया हालांकि कुछ शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना की गई जैसे- 1781 में कलकत्ता मदरसा - वारेन हेस्टिंग्स द्वारा स्थापित 1784 में एशियाटिक सोसायटी ऑफ बंगाल - विलियम जोन्स 1791 में बनारस संस्कृत - जोनाथन डंकन 1800 में फोर्ट विलियम

इन संस्थाओं की स्थापना का उद्देश्य भारत में शिक्षा का विकास नहीं करना था बल्कि ब्रिटिश प्रशासकों को भारतीय भाषा का नून एवं संस्कृति का ज्ञान उपलब्ध करना जिससे भारत पर प्रभावी ढंग से शासन किया जा सके।

- इसी प्रकार एशियाटिक सोसायटी का भी उद्देश्य था प्राचीन भारतीय संस्कृति के सन्दर्भ में बेहतर समझ बनाना।
- फोर्ट विलियम का उद्देश्य ब्रिटिश प्रशासकों को प्रशिक्षित करना था।
- इस चरण में अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य था व्यापार के माध्यम से अधिक मुनाफा कमाना अंग्रेजों की नजर में शिक्षा में निवेश इस दृष्टिकोण से उपयोगी नहीं था।
- भारतीय प्रशासन पर प्राच्यवादिनों का प्रभाव था और वे भारतीय संस्कृति में हस्तक्षेप के पक्ष में नहीं थे।

Note:- प्राच्यवादी - उन विद्वानों एवं प्रशासकों को प्राच्यवादी कहा जाता था जिनकी रुचि भारत सहित पूर्व की संस्कृति में थी कि वे समाज एवं संस्कृति के प्रति सम्मान का भाव रखते थे और हस्तक्षेप के पक्ष में नहीं थे।

प्राच्यवादी नाम :-

करेन हैरिंग्टन, थामस मुनरो, एली फिंस्टन, विलसन प्रिंसेप ।

• आंग्लवादी :-

मुद्दतः ब्रिटिश विद्वानों, प्रवासकों का समूह जो भारतीय समाज एवं संस्कृति को निम्न मानता था और ब्रिटिश संस्कृति को उत्कृष्ट इनका दृष्टिकोण था भारत में अंग्रेजी भाषा को आधार बनाकर पाश्चात्य शिक्षा का विकास किया जाना चाहिए।

द्वितीय चरण - 1813-1858

- 1813 के अधिनियम में शिक्षा के विकास के लिए प्रतिवर्ष एक लाख रुपये का प्रावधान किया गया।
- इस राशि का उपयोग किस प्रकार किया जाए इसको लेकर आंग्लवादियों एवं प्राच्यवादियों में विवाद हुआ इसे आंग्ल-प्राच्य विवाद भी कहते हैं।
- आंग्ल समर्थकों का यह मत था कि अंग्रेजी भाषा में ब्रिटिश शिक्षा पद्धति पर ध्यान देकर खर्च किया जाए वहीं प्राच्य समर्थकों का मत था कि भारतीय भाषा में भारतीय शिक्षा पद्धति पर ध्यान देकर खर्च की जाए।
- 1813 में G.C.P.I नामक एक संस्था बनाई गई / (जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंट्रस्ट्स)

और इस संध्या में भी आंग्ल एवं प्राच्य समर्थकों के बीच विवाद बना रहा ।

- 1835 में मैकाले ने अपने घोषणापत्र में स्पष्ट शब्दों में यह कहा कि शिक्षा के लिए निर्धारित पैसे का उपयोग आंग्ल शिक्षा पर किया जाएगा वैंटिक ने भी इसका समर्थन किया ।
- मैकाले ने यह भी घोषणा की कि सरकार समाज के कुछ लोगों को ही शिक्षित करेगी । (उच्च वर्ग) और इन लोगों के द्वारा शिक्षा का प्रसार समाज के अन्य वर्गों तक होगा । (अधोमुखी निरुपेक्षित शिक्षा)
- 1850 तक कुछ स्कूल कालेज खोले गए जैसे कलकत्ता, मद्रास, बम्बे, पटना, बलाहाबाद आदि ।
- कलकत्ता एवं आगरा में भी संस्कृत कालेज स्थापित किए गए ।
- 1835 में कलकत्ता में मेडिकल कालेज और 1847 में रूड़की में इंजीनियरिंग कालेज खोला गया ।